

प्रपक,

रमेश कुमार सुधांशु,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

धन सिंह कुटियाल,
वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर

मुख्य अभियन्ता (नियोजन),
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजभवन देहरादून में सी.सी.टी.वी. कैमरों (दिन/रात्रि) एवं इलेक्ट्रो-मैकेनिकल रोड बैरियर की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमिशनिंग हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

सहोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा विषयगत कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये 02 विस्तृत आगणनों, जिनकी कुल लागत ₹ 62.26 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संलग्न विवरणानुसार प्रस्तुत 02 कार्य हेतु संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 61.69 लाख (रुपये इकसठ लाख उनहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख (रुपये दस हजार मात्र) की दर से दो कार्य हेतु ₹ 0.20 लाख (रुपये बीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- प्रस्तुत विस्तृत आगणनों में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- विषयगत कार्य हेतु **Technical Specifications** के सम्बन्ध में तकनीकी समिति की संस्तुति विषयक, सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुभाग-1 के पत्र संख्या- 389/XXXIV-1/2020-06/2006TC-II दिनांक 06 मई, 2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।
- स्वीकृत किये जा रहे विस्तृत आगणनों के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।
- ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में **debitable** आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
- प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(xi) यदि संलग्न कार्यों में से किसी कार्य को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

(xii) स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रवर्धनमेंट रूलस-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(xiii) वर्तमान में व्यव हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2021 तक सुनिश्चित किया जायेगा।

(xiv) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगमन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं.-22, लेखाशीर्षक-4059 लोक निर्माण कार्य पर पुंजीगत परिव्यय-80 सामान्य-051 निर्माण कार्य-62 लोक निर्माण (नए कार्य)-53 वृहद निर्माण के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 773/XXVII(2)/2020 दिनांक 08 जनवरी, 2021 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक :- यथोपरि।

भूवदीय,
(रमेश कुमार सुधांशु)
सचिव।

संख्या:- (1)/III(2)/21-43(प्र.आ)/2016 तदुद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निर्मालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, राज्यपाल सचिवालय, उत्तराखण्ड।
2. महालेखाकार (लेखा प्रथम), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
3. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. जिलाधिकारी, देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि., देहरादून।
7. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
10. अधीक्षण अभियन्ता, नवम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
11. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

कार्यालय

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

दि:- 01-2-21

आज्ञा से

(श्याम सिंह)

संयुक्त सचिव।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ

आज्ञानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., देहरादून।

मुख्य अभियन्ता, नवम वृत्त, लो.नि.वि., देहरादून।

मुख्य अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो.नि.वि., देहरादून।

मुख्य अभियन्ता, आदर्श सैलू कार्यालय, स.उ.व.वृत्त एवं विभागाध्यक्ष

मुख्य अभियन्ता, प्रा.बजट के कार्यालय, मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

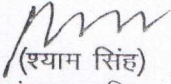
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
30/1/21

संख्या- 104 /III(2)/21-43(प्रा.आ.)/2016 दिनांक 27-जनवरी, 2021 का संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	शासन द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1.	Supply, Installation, Testing and Commissioning of IP-IR (Day/Night) CCTV Camera at Rajbhawan, Dehradun	59.58	0.10
2.	Supply, Installation, Testing and Commissioning of Electro- Mechanical Road Barrier at Raj Bhawan, Dehradun	2.11	0.10
	कुल योग :-	61.69	0.20

(कुल ₹ बीस हजार मात्र)


(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

43 (P.B. 3-11) / 2016

सचिव, सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 12.03.2020 को सांय 04:00 बजे आहूत तकनीकी समिति की बैठक का कार्यवृत्त:-

समिति:-

1. श्री अभित कुमार सिन्हा, निदेशक, आईटीडीओ, देहरादून।
2. श्री विजय कुमार यादव, अपर सचिव, सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री मनोज जोशी, Scientist (E), एनआईसी, सचिवालय परिसर, देहरादून।
4. डॉ० एनके० गुप्ता, आईआईटी, रुड़की।
5. श्री अभित रंजन, ओएनजीसी, देहरादून।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं०-285/पीएस०/2006, दिनांक 23.10.2006 द्वारा प्रदेश के विभिन्न विभागों, परिषदों एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वयं सेवी संस्थाओं में कम्प्यूटर हार्डवेयर, साफ्टवेयर एवं नेटवर्किंग उपकरणों के कय हेतु मानक सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से तकनीकी समिति का गठन किया गया है।

समिति द्वारा निम्नांकित प्रकरणों पर विचार किया गया।

1. लोक निर्माण विभाग:-

राज्यभवन में सीसीटीवी कैमरों तथा अन्य सहवर्ती उपकरणों Technical Specifications के सम्बन्ध में समिति द्वारा उपर्युक्त Specifications को निम्न तालिका अनुसार निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया:-

1. क्रम संख्या- 10, 11, 14, 15, 18 एवं 21 पर अंकित उपकरणों के specifications में से "make" शब्द के साथ कंपनी के नाम का प्रयोग न करते हुए उत्पाद की गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हुए कुछ मानक निर्धारित किये जा सकते हैं।
2. Unit of measurement (for example meter etc.) भलीभाँति अंकित किये जाये।

Sl. No	Description of Item	Quantity
1.	S.I.T.C of Dome Camera – Minimum 4 Mp 25X Network Speed Dome High quality imaging with 4MP resolution low-light performance via powered 120dB WDR Pan and tilt ability 25X optical zoom Minimum 100 Mir range Water and dust resistant (IP66)	12
2.	S.I.T.C of Bullet Camera- Minimum 4 MP IR Bullet network camera POE Day Night Vision 1V66 Waterproof HG UP TO 4- Megapixel high Resolution full HD 1880 video Dual stream, 120db wide Dynamic range and 3D Digital noise reduction, Axis Adjustment Backlight compensation IR range minimum 30 m POE support H.264 IP67 weather proof protection.	46
3.	S.I.T.C of 1080p HD IR PTZ Camera with 1/3" progressive scan CMOS, Effective pixels 1920 (H) x 1080(V) 108Op@ 60 FPS 30 x Optical Zoom (4.5mm-135mm), 12 X Digital Zoom, Minimum illumination- Color: 0.05Lux, B/W: 0.01lux, IR: 0 lux; IR distance 180 m or more internal or external; 90 dB WDR or better as per IEC, Stream 1 and Stream 2 should be configurable at 1080p 30 fps, H.265, MJPEG streams, Dynamic Noise Reduction, video analytics line crossing, filtering, counter, occupancy counter, object removal should all be included in the camera, BLC, White Balance, Pan Range 360° continuous, Tilt Range 0°±90°, Pan/Tilt Modes- Pan: 0.1°/s-	04

240°/s; Tilt: Pan: 0.1°/s- 120°/s, Presets 256, Tour, Audio1/a Channel In/Out, Micro SD card support, 24 individually configurable privacy masks, Alarm inputs/outputs-2/1, Dual Power options, Essential Video Analytics in-built, IP66, ONVIF Profiles S&G, FCC, CE, UL Certified. Housings, Mounting, Lens, IR illuminator should be of Same make/OEM as of Camera.	
Supply of network recorder to a maximum of 32 IP cameras, Minimum Storage should cater 60 Days. H.265/H.264/MJPEG supported. iPhone/Android support. Minimum 1 I/O for audio. Minimum 1 VGA & 2 HDMI outputs. CE, UL & FCC certified.	02
S/F of 50 Inch LED TV.	02
S/F of ONLINE UPS 5KVA with 60 min Backup complete in all respect.	01
S/F of OFFLINE UPS 1KVA with 30 min Backup complete in all respect.	10
POE switch (8 port) with SFP	10
POE switch (24 port) with SFP	02
S/F of 9Mtr. Long GI tubular poles with 155mm bottom & 70mm top made up of 3mm thin HT sheet along with base plate of size 250x250x16mm thk with 750 mm long J type foundation bolt. Make bajaj.	11
S/L of OPTICAL FIBER CABLE 6 CORE SINGLE MODE make DLINK.	1600
S/F of Single mode SFP module 1000 base LX SFP Transceiver LC type.	30
S/F FIBER PATCH CORD LC TO SC duplex length 3 mtr.	30
S/F of 24 Port Patch Panel Cat 6 make Schneider.	12
S/L of 1.5sq.mm 3 core Copper Armoured CABLE. Make-Ploycab/Havells	800
S/F of Wall Mount following size Rack with front glass door & lock arrangement with suitable size of Fan and	
I. 42 U Rack	01
II. 9 U Rack	10
S/F of 96 core LIU fully Loaded Rack Mounted (Comprising of 2 nos. 48 Port RACK MOUNT BLK-2U with Splice Tray and Pigtail LC 96 Nos., Adaptor SC 96 Nos. & Adaptor Duplex 96 Nos.)	01
S/F of LIU 6 Port Fully Loaded Rack Mounted. Make Schneider.	12
S/D of UTP 4 Pair CAT 6 LAN cable in the existing PVC conduit as required. (1.53.1)	2000
S/L of 63 mm dia (OD-63 mm & ID-51 mm nominal) size DWC HDPE pipe ISI marked along with all accessories like socket, bend, couplers etc. conforming to IS 14930, Part II complete with fitting and cutting, jointing etc. in the existing trench, complete as required. (P.S. No.-14.15.1)	300
S/F of 25mm size of medium class PVC conduit along with accessories in surface/recess including cutting the wall and making good the same in case of recessed conduit as required. AKG make.	1000

2. शिक्षा विभाग:-

शासनादेश संख्या 18/xxxiv/2016-77/2015 दिनांक 15 जनवरी 2016 के प्रस्तर 5 के अनुसार 'विभिन्न विभागों के सामान्य प्रौद्योगिकी से संबंधित चिन्हित कार्यों को कराये जाने से पूर्व योजना/कार्य का मूल्यांकन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा'। विभाग के द्वारा उक्त कार्य/योजना के मूल्यांकन हेतु पत्रावली संक्षिप्त प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किया गया।

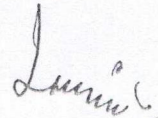
स्मार्ट क्लास के संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से, सूचीबद्ध वेंडर CELT तकनीकी समिति के सम्मुख प्रस्तुतिकरण हेतु उपस्थित हुए। इनके द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में प्रस्तावित स्मार्ट क्लास के संबंध में कार्य किये जाने का कोई विशेष अनुभव नहीं है। CELT की तरफ से एक अन्य फर्म के द्वारा स्मार्ट क्लास रूम से संबंधित प्रस्ताव पर प्रस्तुतिकरण तकनीकी समिति को समक्ष किया गया जिसके Content Propriety प्रकृति के है, किसी अन्य फर्म के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतिकरण नहीं किया गया इसके कारण समिति के संज्ञान में यह नहीं आया कि उक्त कार्य से संबंधित कार्य करने वाले कोई अन्य विकल्प बाजार में उपलब्ध है या नहीं साथ ही जो मॉडल प्रस्तुत किया गया वो एक ही फर्म की विशिष्टियों के अनुसार प्रदर्शित किया गया इससे स्पष्ट है कि इसमें Technical Competiveness का अभाव है।

अतः समिति का यह मत है कि उक्त परियोजना के संबंध में विभाग EOI प्रकाशित करें ताकि अन्य फर्म जिनकों उक्त कार्य का अनुभव हो उन्हें भी समिति के समक्ष प्रस्तुतिकरण का अवसर प्राप्त हो ताकि एक स्वस्थ प्रतियोगिता के उपरान्त सभी विकल्पों पर विचार कर समिति अपना मत स्थिर कर सकें।

कौशल विकास विभाग:-

समिति द्वारा कौशल विकास विभाग के प्रतिनिधि को निर्देश दिये गये कि वह एन0आई0सी0 के सहयोग से पुनः Technical Specifications तैयार कर तकनीकी समिति की आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत करें।

अन्त में धन्यवाद सहित बैठक का समापन किया गया।



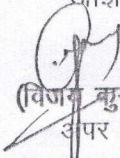
(रमेश कुमार सुधांशु)
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुभाग-1
संख्या- 389 /XXXIV-1/2020-06/2006 TC-II
देहरादून: दिनांक: 06 मई, 2020

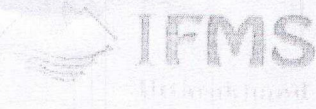
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. तकनीकी समिति के समस्त सदस्य।
2. सम्बन्धित विभाग।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(विजय कुमार यादव)
उपर सचिव



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2020 - 2021)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -104/III(2)/21-43(PE)/2016
आवंटन संख्या-022

आवंटन आई डी-S21010220016
आवंटन पत्र दिनांक-27-JAN-2021

संस्था शीर्षक

4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत
परिव्यय
051-निर्माण
00-0

80-General

02-लोक निर्माण (नए कार्य)

Voted

4	0	5	9	8	0	0	5	1	0	2	0	0
मानक मद का नाम					पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग				
53-बृहद निर्माण					10000	20000	0	30000				
योग					10000	20000	0	30000				

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.20,000 (Rupees Twenty Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER